



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-09042025-262387
CG-WB-E-09042025-262387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1652]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2025/चैत्र 19, 1947

No. 1652]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2025/CHAITRA 19, 1947

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 8 अप्रैल, 2025

का.आ. 1683(अ).— पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड -3 (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त एतद्वारा अन्तिम रूप से 580 ग्राम 'टाइप-ए' एवं 'टाइप-बी' के जूट बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य निर्धारित करता हूँ - जो नियमानुसार है:-

विवरण	बारदान का प्रकार	मूल्य / एमटी	मूल्य प्रति बारदान
बी-टवील सैकिंग (580 ग्राम) (बिना लिंकेज के साथ)	टाइप ए	रू 109621.00	रू 6358.02
	टाइप बी	रू 109621.00	रू 6358.02

2. विस्तापित आदेश/अनुदेश के अनुसार ए तथा बी प्रकार के जूट बोरे जिनका आकार 94 सेमी x 57 सेमी/एचडी, द्रव्यमान प्रति बोरे 580 ग्राम हो, अन्तिम सिरे प्रति डी.एम. तथा पिक्स प्रति डी.एम. जैसा कि भा.मा. ब्यूरो के

विनिर्देशन संख्या भा.मा. 16186:2014 (संशोधन 1) के साथ एक अतिरिक्त पहचान चिह्न के अनुरूप हो, जिसको अप्रैल 2025 माह के दौरान खरीदा या बेचा जाएगा।

3. प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कोलकाता द्वारा मुद्रित/चिह्नित विनिर्दिष्ट प्रतीक से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न हो। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दी गई दर के अनुसार औसत न्यूनतम टूटने की क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेथ) उपर्युक्त दरों के अनुसार होगी।
4. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जीएसटी सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(16)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 8th April, 2025

S.O. 1683(E).— In exercise of the powers conferred by Clause-3(6) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, hereby FINALLY fix the maximum ex-factory price for the 580gm 'Type-A & 'Type-B' Jute Bags which are as follows:-

Description	Bag Type	Price/MT	Price per 100 bags
B-Twill Sacking (580 gms) (Without Linkage)	Type A	Rs. 109621.00	Rs. 6358.02
	Type B	Rs. 109621.00	Rs. 6358.02

2. Type A & Type B bags of the size 94cm x 57 cm/HD., 580 gm mass per bags, ends per dim, pecks per dm., as specified in the BIS Specification IS: 16186:2014 respectively with additional identification marking as per extent orders/instructions, shall be purchased or sold during the month of **April, 2025**.
3. Every bag is to be printed/marked with emblem to specified in the PCSO issued by the O/o Jute Commissioner, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall be as provided in the aforesaid specification of BIS.
4. The price fixed under this Notification shall be exclusive of GST which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(16)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner